

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 जून 2015—आषाढ 6, शक 1937

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2015

सूचना

क्र. एफ. 22-16-2015-आठ.—स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, एतद्वारा उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है तथा यह सूचना दी जाती है कि “मध्यप्रदेश राजपत्र” में सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समाप्ति पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के कक्ष क्रमांक-210 में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

स्कीम

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस स्कीम का संक्षिप्त नाम “मोटरयान के प्रदूषण की जांच के लिए प्रदूषण जांच केन्द्र को अधिकृत करने संबंधी स्कीम, 2015” है.

2. **परिभाषाएं.**—इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59);

(ख) “प्राधिकार पत्र” से अभिप्रेत है ऐसा प्रमाण-पत्र, जो मोटरयानों के निरीक्षण को प्राधिकृत करने के लिए प्रदूषण जांच केन्द्र को जारी किया गया है;

(ग) “प्रमाण-पत्र” से अभिप्रेत है ऐसा निरीक्षण प्रमाण-पत्र, जो नियम 115 के उपनियम (7) के अधीन प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा मोटरयान के स्वामी को जारी किया गया है;

- (घ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इस स्कीम से संलग्न प्ररूप;
- (ङ) "प्रदूषण जांच केन्द्र" से अभिप्रेत है केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 115 के उप नियम (7) के अनुसरण में प्राधिकृत किया गया केन्द्र;
- (च) "नियम" से अभिप्रेत है केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989.

3. **प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने हेतु अर्हता:**—इस स्कीम के अधीन प्रदूषण जांच के लिए प्राधिकार-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक होंगी:—

- (क) आवेदक ने आवेदन की तारीख को हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो और वह आवेदन की तारीख को 18 वर्ष की आयु से कम का न हो;
- (ख) प्रदूषण जांच केन्द्र चलाने के लिए आवेदक या उसके कर्मचारी के पास न्यूनतम योग्यता के रूप में मेकेनिक (डीजल), मेकेनिकल (मोटरयान) का आई.टी.आई. का प्रमाण-पत्र या समतुल्य अर्हता होनी चाहिए;
- (ग) आवेदक को केन्द्रीय मोटरयान नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में मोटरयान से उत्सर्जित होने वाले धुएं और गैस की जांच के लिए स्मोक मीटर (प्रिन्टर सहित), गैस एनलाईजर (प्रिन्टर सहित) और यानों की ट्यूनिंग के लिए आवश्यक अन्य उपस्कर रखना होगा;
- (घ) ऐसे आवेदक को, जो मोटर वर्कशाप/मोटर सेवा केन्द्र चलाते हैं या जिनके पास प्रदूषण निरीक्षण उपस्कर सुसज्जित मोटरयान है, अधिमान दिया जाएगा;
- (ङ) यदि मोटर वर्कशाप/मोटर सेवा केन्द्र या प्रदूषण जांच उपस्कर से सुसज्जित मोटरयान में काम करने वाले आवेदक के किसी कर्मचारी के पास आटोमोबाईल/मेकेनिकल इंजीनियरिंग में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री हो तो उसे प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाएगी.

4. **प्राधिकार आदि जारी करने की प्रक्रिया:**—(1) इस स्कीम के अधीन प्रदूषण जांच केन्द्रों को प्राधिकृत करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/संबंधित जिले के जिला परिवहन अधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार-पत्र में सामान्य विज्ञापन प्रकाशित कराकर प्ररूप-1 में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे.

(2) परिवहन आयुक्त द्वारा स्थानीय क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत मोटरयानों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र के लिए जिला परिवहन अधिकारी से प्राप्त की गई रिपोर्ट के आधार पर अधिकृत किए जाने वाले प्रदूषण जांच केन्द्रों की अधिकतम संख्या निर्धारित की जाएगी. प्रदूषण जांच केन्द्र का स्थान अवधारित करते समय, राज्य हाईवे तथा विशेष स्थान पर यानों का आवागमन तथा यातायात का परिमाण ध्यान में रखा जाएगा. स्थान के अवधारण हेतु पेट्रोल और डीजल से चलाए जाने वाले यान की संख्या और वाणिज्यिक तथा हल्के मोटर यान को विचार करने का आधार बनाया जाएगा.

(3) इस स्कीम के अधीन प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदक का चयन, संबंधित जिले में संभागीय उप परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाएगा. जिला परिवहन अधिकारी इस स्कीम का क्रियान्वयन, संभागीय उप परिवहन आयुक्त के निर्देशों के अधीन करेगा.

(4) यदि उपनियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या, प्राधिकार पत्र के लिए जांच केन्द्रों की विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक हो, तो प्राधिकार हेतु मोटर सेवा केन्द्रों/मोटर वर्कशाप में उपलब्ध अतिरिक्त सुविधाओं तथा आवेदक के अनुभव को प्राधिकार पत्र के लिए जांच केन्द्रों के विनिर्दिष्ट संख्या के चयन हेतु ध्यान में रखा जाएगा. आरक्षित प्रवर्ग के आवेदकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा.

(5) संभागीय उप परिवहन आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात् क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा चयन किए गए आवेदकों को प्राधिकार पत्र, प्ररूप-2 में जारी किया जाएगा.

(6) आवेदन करने, प्राधिकार पत्र प्रदान करने और प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण के लिए निम्नलिखित फीस प्रभारित की जाएगी:—

(क) आवेदन के लिए	रुपए 250/-
(ख) प्राधिकार पत्र प्रदान करने के लिए	रुपए 2500/-
(ग) प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण के लिए	रुपए 2500/-

5. **प्राधिकार पत्र की कालावधि.**—(1) प्रदूषण जांच केन्द्र के लिए जारी किया गया प्राधिकार पत्र तीन वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और उसे संभागीय उप परिवहन आयुक्त द्वारा एक वर्ष की कालावधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा.

(2) नवीनीकरण आवेदन रुपए 250/- फीस के साथ विधिमान्यता की कालावधि के समाप्त होने के 30 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा. विधि मान्यता की कालावधि के समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आवेदन पर विलम्ब के कारण रुपए 100/- प्रतिमाह जमा किया जाएगा.

(3) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी/संभागीय उप परिवहन आयुक्त के अनुमोदन से जांच केन्द्रों के स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित में कारणों को लेखबद्ध करते हुए नवीन प्राधिकार पत्र जारी करने/नवीनीकरण करने से इंकार कर सकेगा.

(4) जांच केन्द्र का स्वामी, संभागीय उप परिवहन आयुक्त द्वारा पारित किए गए प्राधिकार पत्र जारी करने/नवीनीकरण करने से इंकार करने के आदेश के विरुद्ध परिवहन आयुक्त, के समक्ष अपील फाईल कर सकेगा.

(5) प्राधिकृत जांच केन्द्र का स्वामी, प्राधिकार पत्र को किसी भी समय संभागीय उप परिवहन आयुक्त को समर्पित कर सकेगा और इस प्रकार समर्पित करने की तारीख से प्राधिकार पत्र रद्द किया गया माना जाएगा.

6. **प्राधिकार पत्र का निलंबन/रद्दकरण.**—(1) यदि संभागीय उप परिवहन आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि स्कीम के अधीन प्राधिकृत कोई प्रदूषण जांच केन्द्र, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों तथा प्राधिकार पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं करता है तो वह ऐसी जांच, जैसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् और प्राधिकार पत्र धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा प्राधिकार पत्र को रद्द/निलंबित कर सकेगा.

(2) यदि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस स्कीम के अधीन प्राधिकृत कोई प्रदूषण जांच केन्द्र, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों तथा प्राधिकार पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं करता है तो वह ऐसी जांच, जैसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् और प्राधिकार पत्र के धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्राधिकार पत्र को निलंबित कर सकेगा.

(3) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा पारित किए गए प्राधिकार पत्र के निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील, संभागीय उप परिवहन आयुक्त को की जाएगी और संभागीय उप परिवहन आयुक्त द्वारा पारित किए गए रद्दकरण या निलंबन के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील, परिवहन आयुक्त को की जाएगी और इस संबंध में अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश अंतिम होगा.

7. **जांच (टेस्टिंग) प्रमाण-पत्र.**—(1) प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी, नियम 115 के उपनियम (7) के प्रयोजन के लिए प्ररूप-3 में यान के स्वामी को प्रमाण-पत्र जारी करेगा जो छह मास के लिए विधिमान्य होगा.

(2) प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी, यान के स्वामी से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित करेगा:—

(क) दो पहिया यान हेतु	रुपए 20/-
(ख) तीन पहिया यान हेतु	रुपए 30/-
(ग) चार पहिया हल्के मोटर यान हेतु	रुपए 40/-
(घ) मध्यम मोटरयान हेतु	रुपए 50/-
(ङ) भारी मोटरयान हेतु	रुपए 100/-

8. **प्रदूषण जांच केन्द्र का निरीक्षण.**—(1) परिवहन विभाग का कोई राजपत्रित अधिकारी, अपनी अधिकारिता के भीतर प्रदूषण जांच केन्द्र का निरीक्षण कर सकेगा और वह ऐसे प्रत्येक निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्ट संबंधित संभागीय उप परिवहन आयुक्त को भेजेगा.

(2) निरीक्षण अधिकारी, निरीक्षण के दौरान यह निरीक्षण करेगा कि प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और प्राधिकार-पत्र की शर्तों का अनुपालन, किया जा रहा है या नहीं?

9. **रजिस्टर का संधारण.**—(1) प्रत्येक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन प्राधिकृत किए गए प्रदूषण जांच केन्द्रों के ब्यौरे, प्ररूप-4 में रजिस्टर में संधारित करेगा.

(2) प्रत्येक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी, प्रत्येक तिमाही के लिए प्ररूप-5 में एक विवरणी परिवहन आयुक्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश को भेजेगा.

(3) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, परिवहन अधिकारी उप प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाएगा, रिपोर्ट परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश तथा परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश को भेजेगा.

10. **प्रदूषण जांच प्रमाण-पत्र.**—(1) प्रदूषण जांच केन्द्र ऐसे स्वामियों को, जिन्हें प्ररूप-3 में प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है, “नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र” (स्टीकर के रूप में) प्ररूप-6 में जारी करेगा जो गहरी हरी प्रस्फुटित पृष्ठभूमि का 10/6 सेन्टीमीटर का होगा और जो यान पर चिपकाने के लिए प्रदाय किया जाएगा.

(2) प्ररूप-6 का प्रमाण-पत्र, पुस्तिका के रूप में दो प्रतियों में संधारित किया जाएगा, एक प्रति पीले कागज में तथा दूसरी प्रति सफेद कागज में होगी. पीले रंग की प्रथम प्रति यान के स्वामी को दी जाएगी. पुस्तिका को प्ररूप-6 में क्रमानुसार संधारित किया जाएगा.

(3) प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र, प्ररूप-6 में जारी किए गए प्रमाण-पत्र पर दिनांक तथा मास छिद्रित (पंच) करेगा.

11. **निर्देशों का अनुपालन.**—राज्य सरकार तथा परिवहन आयुक्त, इस स्कीम के सुचारु क्रियान्वयन की दृष्टि से संभागीय परिवहन उप आयुक्त, परिवहन अधिकारियों तथा प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र को समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकेंगे. ऐसे निर्देशों का अनुपालन आबद्धकर होगा.

12. **निरसन.**—मोटरयान के प्रदूषण की जांच के लिए प्रदूषण जांच केन्द्र को अधिकृत करने की योजना, 2001 एतद्द्वारा, निरसित की जाती है:

परन्तु इस प्रकार निरसित स्कीम के उपबंधों के अधीन की गई कोई कार्रवाई या किया गया आदेश, इस स्कीम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या किया गया आदेश समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.

प्ररूप—1

[नियम-4 (1) देखिए]

प्रदूषण जांच केन्द्र प्राधिकृत करने के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम (पिता/पति के नाम सहित)
2. डाक का पूर्ण पता (मोटर वर्कशॉप/मोटर सेवा केन्द्र का रेखाचित्र तथा स्वामित्व का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
3. अर्हता का प्रमाण-पत्र
4. आवेदक के पास उपलब्ध मेक और एनालाईजर (प्रिंटर सहित), स्मोक मीटर (प्रिंटर सहित) के पूर्ण विशिष्टियों सहित ब्यौरे:—
 1.
 2.
 3.
 4.

दस्तावेज, जांच केन्द्र स्वीकृत होने के 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा स्वीकृत आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। (क्रय दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें)
5. यानों का प्रवर्ग, जिनके प्रदूषण जांच के संबंध में प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने का आवेदन किया गया है:—
 1.
 2.
 3.
 4.
6. आवेदक के अधीन कार्यरत स्टाफ का विवरण:—
 - (क) मैनेजर
 - (ख) फोरमेन/इंजीनियर
 - (ग) मैकेनिक
 - (घ) हेल्पर
 - (ङ) अन्य प्रशासनिक स्टॉफ (उनकी अर्हता सहित)
7. क्या वर्कशॉप/मोटर सेवा केन्द्र में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं?
 - (क) पानी की व्यवस्था
 - (ख) विद्युत व्यवस्था
 - (ग) प्रसाधन आदि की व्यवस्था
8. क्या 10 से 15 तक यान खड़े करने के लिये उपयुक्त स्थान उपलब्ध है? (रेखाचित्र में दर्शाए गए अनुसार)
9. क्या गैस एनालाईजर तथा स्मोक मीटर को चलाने वाला स्टॉफ प्रशिक्षित है?
10. वाहन जांच रिपोर्ट को अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति का नाम, उसके नमूना हस्ताक्षर सहित,

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

प्ररूप—2

[नियम-4 (5) देखिए]

प्रदूषण जांच केन्द्र के लिए प्राधिकार पत्र

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय
 की अधिकारिता के भीतर निम्न प्रवर्ग के यानों की प्रदूषण जांच का प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु मेसर्स
 को तारीख से तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के
 अधीन प्राधिकृत किया जाता है.

यानों के प्रवर्ग:—

- (1)
 (2)
 (3)

प्रमाण-पत्र से तक के लिए नवीनीकृत किया गया.

संभागीय उप परिवहन आयुक्त
 संभाग

परिवहन अधिकारी
 जिला

प्ररूप—3

[नियम-7 (1) देखिए]

नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र
 (मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकृत)

प्रदूषण जांच केन्द्र कोड संख्या
 [] [] []

अनुक्रमांक

जिला

प्रमाणित किया जाता है कि यान का सी.ओ. इनीशियल लेवल केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 115(2) में निर्धारित स्तर के अनुसार है,

यान का प्रकार		निर्धारित मानक	मापित स्तर
पेट्रोल चलित यानों के लिए आइडलिंग सी.ओ. उत्सर्जन सीमा (लिमिट)	2/3 पहियों के यानों के लिए	4.5 प्रतिशत आयतन द्वारा	
समस्त डीजल यानों के लिए धुएं के घनत्व की विहित सीमा	4 पहियों के यानों के लिए धुएं का आयतन सीओ एचओ एनओ	3 प्रतिशत आयतन द्वारा 6.5 हार्ट्ज इकाई 14 ग्राम/के.डब्ल्यू.एच. 3.5 ग्राम/के.डब्ल्यू.एच. 18 ग्राम/के.डब्ल्यू.एच.	

जांच केन्द्र का नाम

केन्द्र का कोड नंबर [] [] []

जिला


जांच शुल्क रुपये

जांच का दिनांक

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के
 हस्ताक्षर
 हस्ताक्षरकर्ता का नाम तथा मोहर

प्ररूप—6
(नियम- 10 देखिए)

नियंत्रित प्रदूषण



परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

1—7	15—21
8—14	22—31

प्रदूषण जांच केन्द्र कोड क्र. :

जिला :

“मांगने पर वैध नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 27th June 2015

NOTICE

No. F. 22-16-2015-VIII.—The following draft of scheme which the State Government Proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (2) of Section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestions, which may be received by the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Transport Department during office hours at Room No. 210, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal from any person on or before the time period specified above shall be considered by the State Government.

SCHEME

1. **Short title.**—This scheme may be called the “Motoryan Ke Pradushan Ki Janch Ke liye Pradushan Janch Kendra Ko Adhikrit Karne Sambandhi Yojana, 2015”.

2. **Definitions.**—In this scheme unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
- (b) “Authorisation letter” means the certificate issued to the pollution testing centre for authorising to inspect the Motor Vehicles;
- (c) “Certificate” means inspection certificate issued under sub-rule (7) of rule 115 by the authorised testing centre to the owner of the Motor Vehicle;
- (d) “Form” means the forms appended to this scheme;
- (e) “Pollution testing centre” means the centre authorised in pursuance of sub-rule (7) of rule 115 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989;
- (f) “Rule” means Central Motor Vehicles Rules, 1989.

3. **Qualification for obtaining authorisation letter.**—For obtaining authorisation letter for pollution test under this scheme, the following qualification shall be necessary:—

- (a) The applicant must have passed High School and should not be less than 18 years of age on the date of application.
- (b) The applicant or his employee, to operate pollution testing centre must have certificate from I.T.I. in Mechanic (Diesel), Mechanical (Motor Vehicle) or equivalent qualification.
- (c) The applicant shall have smoke meter (with Printer), gas analyser (with printer) complying the requirement under central motor vehicles rules for testing the smoke and gas emission from the motor vehicles and other necessary equipment for tuning of vehicles.
- (d) The applicant who operates motor workshop/motor service centre or who has the motor vehicle equipped with pollution testing equipments, shall be given preference.
- (e) If any of the employees of the applicant working in the motor workshop/motor service centre or motor vehicle, equipped with pollution testing equipment, is having automobile/mechanical engineering Diploma/ Degree recognised by the State Government, shall be given priority in obtaining the authorisation letter.

4. **Procedure to issue authorisation etc.**—(1) Under this scheme the application for authorisation of pollution testing centre shall be invited in Form-1 by the Regional Transport Officer/ Additional Regional Transport Officer/ District Transport Officer of the concerning District by publishing general advertisement in the local newspaper.

(2) The Transport Commissioner having regard to the number of registred motor vehicles in the local area, shall determine maximum number of pollution testing centres to be authorised in that area on the basis of report obtained from the District Transport Officer. While determining the place of pollution testing centres, the State Highways and movement of vehicles on particular places and volume of traffic shall be kept in mind. For determination of the place, number of petrol and diesel driven vehicles and commercial as well as light motor vehicle shall be the basis of consideration.

(3) Under this scheme the selection of the applicant for issue of authorisation letter shall be made by the Divisional Deputy Transport Commissioner in the concerning division. The District Transport Officer shall implement the scheme under the direction of Divisional Deputy Transport Commissioner.

(4) In case the applications received under sub-rule (1) are more than the specified number of testing centres for authorisation letter, then the additional facilities provided at the motor service centre/motor workshop for authorisation and the experience of the applicant shall be kept in mind for selecting specified number of testing centres for authorisation letter. The applicant of reserved category shall be given proper representation.

(5) The authorisation letter in Form-2 shall be issued to the selected applicant by the Regional Transport Officer/ additional Regional Transport Officer/District Transport Officer after approval of the Divisional Deputy Transport Commissioner.

(6) The following fee shall be charged for the application for granting of authorisation letter and renewal of authorisation letter:—

(a) For application	Rs. 250/-
(b) For granting of authorisation letter	Rs. 2500/-
(c) For renewal of authorisation letter	Rs. 2500/-

5. **Validity of Authorisation letter.**—(1) The authorisation letter issued for pollution testing centre shall be valid for three years and it may be renewed by the Divisional Deputy Transport Commissioner for a period of one year.

(2) The renewal application accompanied with a fee of Rs. 250/- shall be submitted before 30 days from the expiry of the period of validity. Rs. 100/- per month on account of delay shall be deposited on the application submitted after the validity period.

(3) The Regional Transport Officer/Additional Regional Transport Officer/District Transport Officer, by approval of the Divisional Deputy Transportation Commissioner may refuse to issue/renew the authorisation letter by recording the reasons in writing after giving the opportunity of hearing to the owner of the testing centres.

(4) Against the order of refusal of issue/renewal of authorisation letter passed by the Divisional Deputy Transport Commissioner, the owner of the testing centre may file appeal before the transport commissioner.

(5) The owner of the authorised testing centre may surrender the authorisation letter at any time to the Divisional Deputy Transport Commissioner and the authorisation letter shall be treated as cancelled from the date of such surrender.

6. **Suspension/Cancellation of authorisation letter.**—(1) The Divisional Deputy Transport Commissioner, if satisfied that any pollution centre authorised under the scheme does not comply with the provisions of the Act or Rules made thereunder and the conditions of authorisation letter, then, after making such enquiry as he deems fit, and after giving opportunity of hearing to the holder of authorisation letter, may by order cancel/suspend the authorisation letter.

(2) Regional Transport Officer/Additional Regional Transport Officer/District Transport Officer, if satisfied that the pollution testing centre authorised under this scheme does not comply the provisions of the Act and the rules made thereunder and the conditions of the authorisation letter, then he may after making such enquiry as he deems fit and after giving opportunity of hearing to the holder of authorisation letter, suspend the authorisation letter.

(3) Against the order of suspension the authorisation letter passed by the regional Transport Officer/Additional Regional Transport Officer/District Transport Officer the appeal shall be preferred to the Divisional Deputy Transport Commissioner and against the order of cancellation or suspension passed by the Divisional Deputy Transport Commissioner, the second appeal shall be preferred to the Transport Commissioner and the order passed by the appellate Authority in appeal shall be final in this respect.

7. **Testing Certificate.**—(1) The owner of the authorised testing centre for the purpose of sub-rule (7) of rule 115 shall issue certificate in Form-3 to the owner of the vehicle, which shall be valid for six months.

(2) The owner of the authorised pollution testing centre shall charge fee from the owner of the vehicle for issuing certificate on the following rates:—

(a) For two wheeler vehicle	Rs. 20.00
(b) For three wheeler motor vehicle	Rs. 30.00
(c) For Four wheeler light motor vehicle	Rs. 40.00
(d) Medium motor vehicle	Rs. 50.00
(e) Heavy motor vehicle	Rs. 100.00

8. **Inspection of Pollution Testing Centre.**—(1) Any Gazetted Officer of the Transport Department may inspect pollution testing centre within his Jurisdiction and he shall send the inspection report of each such inspection to the concerned Divisional Deputy Transport Commissioner.

(2) The Inspecting Officer during inspection shall inspect that whether the Act and rules made thereunder and conditions of the authorisation letter are being complied or not by the pollution Centre.

9. **Maintenance of Register.**—(1) Every Regional Transport Officer/Additional Regional Transport Officer/District Transport Officer shall maintain the details of authorised pollution testing Centre under their Jurisdiction in the register in Form-4.

(2) The Regional Transport Officer/Additional Regional Transport officer/ District Transport Officer shall send return in Form-5 for every quarter to the Transport Commissioner, Gwalior, Madhya Pradesh.

(3) At the end of the financial year, the Transport Officer shall send report in such form which shall be prescribed by the State Government to the Transport Department, Madhya Pradesh and Transport Commissioner, Madhya Pradesh.

10. **Pollution Testing Certificate.**—(1) The Pollution Testing Center "The Pollution under control certificate" (sticker type) in Form-6 shall be issued to those owners, to whom the certificate in form-3 have been issued which shall be in dark green efflorescent background 10/6 Centimetre and which shall be provided for affixing on the vehicle.

(2) The Certification relating to Form-6 shall be maintained in duplicate in a book form of which one copy in yellow paper and second copy shall be in white paper. The first copy in yellow colour shall be given to the owner of the vehicle. The book shall be maintained serially in Form-6.

(3) The authorised pollution testing centre shall punch the date and month on the certificate issued in this behalf in Form-6

11. **Compliance of the directions.**—The State Government and the Transport Commissioner, in view of the smooth implementation of this scheme, may issue necessary direction from time to time to the Divisional Deputy Transport Commissioner, Transport Officers and the authorised pollution testing centres. The Compliance of such directions shall be binding.

12. **Repeal.**—The Motoryan Ke Pradushan Ki Janch Ke Liye Pradushan Janch Kendra Ko Adhikrit Karne Sambandhi Yojana, 2001 is hereby repealed:

Provided that nay action or order which have been taken or made under the provisions of the scheme so repealed shall be deemed to have been taken or made under the corresponding provisions of this scheme.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
OM PRAKASH SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

FORM-1

[See rule 4(1)]

APPLICATION FOR AUTHORISATION OF POLLUTION TESTING CENTRE

1. Name of applicant
(including father's/husband's name)
2. Full postal address
(enclose the drawing map of motor workshop/Motor
Sewa Kendra and Certificate of Ownership)
3. Certificate of Qualification
4. Full details of make available with the applicant and
complete specification of gas analyser (with printer) and
smoke meter (with printer).
Document shall be submitted within 15 days after sanction
of testing centre otherwise sanction order shall be treated
as cancelled automatically.
5. Categories of vehicle for which application is made to
batain authorisation letter in respect of Pollution Testing
6. Details of Staff working under the applicant—
(a) Manager
(b) Foreman/Engineer
(c) Mechanic
(d) Helper
(e) Other Administrative Staff (along with their qualification)
7. Whether the following facilities are available in the work-
shop/motor service centre,—
(a) Arrangement of Water
(b) Arrangement of Electricity
(c) Arrangement of Toilets etc.
8. Whether proper place is available for parking 10 to 15
vehicles (shown in the drawing map)
9. Whether the operation staff of Gas Analyser and Smoke
meter is trained?
10. Name of the persons along with his specimen signatures
attesting the vehicle testing report.

Place:

Date:

Signature of Applicant

Name of the Applicant.

FORM-2

[See rule 4(5)]

AUTHORITY LETTER FOR POLLUTION TESTING CENTRE

For issuing the pollution testing certificate about the following category of vehicle within the Jurisdiction of the office of the Regional Transport Officer/Additional Regional Transport Officer/District Transport Officer M/s authorised from to under the following conditions:—

Category of Vehicles:—

- 1.
- 2.
- 3.

Certificate has been renewed from to

Divisional Deputy Transport Commissioner
Division

Transport Officer
District

FORM-3

[See rule 7(1)]

POLLUTION UNDER CONTROL CERTIFICATE

(Authorised by Transport Department Government of M. P.)

Pollution Testing Centre code number

--	--	--

District

S. No.

Certify that the vehicle CO initial level conforms to the standards prescribed under Rule 115(2) of the Central Motor Vehicle Rules, 1989.

Class of vehicle		Prescribed standard	Measured Level
Idling Co Emission limit for petrol driven vehicles	2/3 wheeled vehicles	4.5% by volume	
	Four wheeled vehicles		
Demark limit of smoke density for all diesel driven vehicles	Volume of smoke	6.5% hirtidge unit	
	CO	14 gm/kwh	
	HC	3.5 gm/kwh	
	NO	18 gm/kwh	

Name of the Testing Centre

Code No, of the Centre

--	--	--

District

Testing fee Rs.

Date of Testing

Signature of Authorised
Signatory
Name of signatory and seal

The Certificate shall be valid only on enclosing the report obtained from the printer. The Certificate shall be valid for six month from the date of issue.

Advised recheck after 90 days.

Note.—In case of any complaint, please inform to concerning Divisional Deputy Transport Commissioner/ Transport Officer.

FORM—4

[See rule 9(1)]

REGISTER SHOWING DETAILS OF AUTHORISED AGENCIES IN
RESPECT OF POLLUTION TESTING IN THE OFFICE OF THE
TRANSPORT COMMISSIONER/DISTRICT TRANSPORT OFFICER

S. No.	Name and Address of Authorised Agency	Name and Address of owner of Authorised Agency	No. of Authority letter issued	Date of issue of authority letter	Validity period of Authority letter	Details of suspension/ cancellation/renewal of authority letter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

FORM—5

[See rule 9(2)]


DETAILS OF TAXRETURN TO BE SENT BY THE REGIONAL
TRANSPORT OFFICER/ ADDITIONAL REGIONAL TRANSPORT OFFICER/
DISTRICT TRANSPORT OFFICER FOR EVERY QUARTER
TO TRANSPORT COMMISSIONER, MADHYA PRADESH

S. No.	Name and Address of Authorised Agency	Name and Address of owner of Authorised Agency	No. of Authority letter issued	Date of issue of authority letter	Validity period of Authority letter	Details of suspension/ cancellation/renewal of authority letter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

FORM—6

(See rule 10)

POLLUTION UNDER CONTROL



Transport Department
Government of Madhya Pradesh

1-7
8-14

15-21
22-31

Pollution Control Code No.

District

“Produce on demand a valid Pollution under control certificate.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
OM PRAKASH SHRIVASTAVA, Dy. Secy.